भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 985
दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमबीजेपी का संचालन

985 श्री रवंगवरा नारजारीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं;
(ख) क्या मंत्रालय ने इस योजना के संचालन के उपरांत इसके स्वास्थ्य तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन किया है;
(ग) असम में परिचालित पीएमबीजेपी केंद्रों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या यह सच है कि देश में जेनेरिक औषधियों के प्रति विश्वास की भारी कमी है;
(ङ) क्या देशभर में जिला प्रशासन स्तर पर जनऔषधि केंद्रों के संचालन की निगरानी के लिए कोई उत्तरदायी निगरानी एजेंसी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

i. सभी के लिए वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं, चिकित्सा उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं उपलब्ध कराना और उपभोक्ताओं/मरीजों के जेब खर्च को कम करना।
ii. आम जनता के बीच जेनेरिक दवाओं को लोकप्रिय बनाना और इस प्रचलित धारणा को दूर करना कि कम कीमत वाली जेनेरिक दवाएं घटिया गुणवत्ता की होती हैं या कम प्रभावी होती हैं।
iii. भारत भर की सभी महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करना।
iv. जन औषधि केंद्र खोलने में व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार सृजित करना।

(ख): जी, नहीं। तथापि, पीएमबीजेपी योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई), जन औषधि केंद्रों (जेएके) के बिक्री प्रदर्शन के आधार पर उनका निरंतर मूल्यांकन करती है। इस मूल्यांकन के साथ-साथ योजना के कार्यनिष्पादन से यह स्पष्ट होता है कि पीएमबीजेपी ने 20,149 जन औषधि केंद्रों के तेजी से विस्तारित नेटवर्क के माध्यम से वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार किया है और साथ ही पूरे देश में उद्यमिता के अवसर भी सृजित किए हैं।

पिछले 12 वर्षों में, ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में नागरिकों को लगभग ₹45,000 करोड़ की अनुमानित बचत हुई है, जिससे परिवारों द्वारा जेब से किए जाने वाले खर्च में भारी कमी आई है और पूरे देश में वहनीय दवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है।

(ग): दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, असम राज्य में कुल 202 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। असम राज्य में खोले गए जन औषधि केंद्रों की जिला-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(घ): यह सत्य नहीं है क्योंकि पिछले 12 वर्षों में, केंद्रों की संख्या वर्ष 2014 में 80 से बढ़कर दिनांक 30.06.2026 तक 20,149 हो गई है। इसके अलावा, बिक्री वर्ष 2014 में 7.29 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2252.19 करोड़ हो गई है। औसतन, प्रतिदिन 15 लाख लोग जन औषधि केंद्रों पर आते हैं।

साथ ही, जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने और बिक्री बढ़ाने के लिए, जनऔषधि दवाओं के लाभों के बारे में लक्षित जागरूकता अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं।

i. जागरूकता अभियान: भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) केंद्रीय संचार ब्यूरो, पीआईबी, माईगॉव और माई भारत जैसे निकायों और प्लेटफार्मों के समन्वय से प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आउटडोर होर्डिंग्स, सामुदायिक सहभागिता आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान संचालित करता है।

ii. इंटरैक्टिव संदेश/कॉल: जनऔषधि उत्पादों की गुणवत्ता और निकटतम जेएके से इन्हें खरीदने पर होने वाली भारी बचत के बारे में नागरिकों को सूचित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट और आउटबाउंड कॉल के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जाता है।

iii. जन औषधि सप्ताह: जन औषधि सप्ताह प्रत्येक वर्ष मार्च के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, जिसके दौरान जन औषधि जेनेरिक दवाओं के लाभों के बारे में नागरिकों, स्वास्थ्य व्यवसायियों और अन्य हितधारकों को शिक्षित करने के लिए राष्ट्र भर में सार्वजनिक रैलियों, स्वास्थ्य शिविरों, फार्मेसी कॉलेजों में सेमिनारों, बच्चों की सहभागिता कार्यक्रमों आदि जैसे विशेष अभियान आयोजित किए जाते हैं।

iv. प्रख्यात व्यक्तियों के संदेश: जनऔषधि औषधियों के लाभों को उजागर करने और उनकी गुणवत्ता से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने के लिए जन प्रतिनिधियों और प्रख्यात चिकित्सकों जैसे सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के ऑडियो/वीडियो संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित किए जाते हैं।

v. ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहभागिता कार्यक्रम: नागरिकों को स्थानीय भाषाओं/बोलियों में शिक्षित करने के लिए, स्वास्थ्य शिविरों, नुक्कड़ नाटकों, सामान्य सेवा केंद्रों पर ऑडियोविजुअल प्रदर्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जेएके के सहयोग से जन सहभागिता कार्यशालाओं के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है।

(ङ) और (च): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई), देश भर में जन औषधि केंद्रों के संचालन और कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। जन औषधि केंद्रों की निगरानी एक केंद्रीकृत आईटी-आधारित प्रणाली, बिक्री और स्टॉक की स्थिति की नियमित समीक्षा, पीएमबीआई अधिकारियों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षणों और केंद्रों के साथ आवधिक परिचर्चाओं के माध्यम से की जाती है।
जन औषधि केंद्रों के संचालन और कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए विशेष रूप से नामित जिला प्रशासन के अंतर्गत कोई पृथक जिला स्तरीय निगरानी एजेंसी नहीं है।

अनुलग्नक

दिनांक 28.07.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 985 के भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित अनुलग्नक

असम राज्य में खोले गए जन औषधि केन्द्रों की जिला-वार संख्या

(दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिले का नाम	जेएके की संख्या
1	बारपेटा	4
2	बोंगाईगांव	4
3	कछार	40
4	दर्रांग	3
5	धेमाजी	6
6	धुबरी	6
7	डिब्रूगढ़	13
8	गोलपाड़ा	4
9	गोलाघाट	3
10	हैलाकांडी	9
11	जोरहाट	4
12	कामरूप	7
13	कार्बी आंगलोंग	2
14	श्रीभूमि	17
15	कोकराझार	4
16	लखीमपुर	2
17	मोरीगांव	5
18	नगांव	14
19	नलबाड़ी	3
20	दीमा हसाओ	1
21	शिवसागर	2
22	सोनितपुर	5
23	तिनसुकिया	8
24	चिरंग	4
25	बक्सा	1
26	उदलगुड़ी	2
27	कामरूप मेट्रोपॉलिटन	19
28	बिस्वनाथ	2
29	माजुली	2
30	दक्षिण सलमारा-मनकाचर	2
31	चराईदेव	2
32	होजाई	2
	कुल योग	**202**
